

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग
आदेश

का० आ० सं०-एन०/जे०पी०को०-विविध-05-27/2014....., पटना, दिनांक

एतद् द्वारा आदेश दिया जाता है कि श्री राजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, कारा प्रशासन, गृह विभाग, बिहार, पटना जे० पी० कोषांग के सभी कार्यों के वरीय प्रभार में रहेंगे।

2. बिहार वित्त नियमावली के नियम-110 के प्रावधानों के आलोक में जे० पी० सेनानी सम्मान योजना अन्तर्गत जे० पी० सेनानियों के पेंशन भुगतान, जे० पी० सेनानी सम्मान योजना के तहत गटित जे० पी० कोषांग एवं सलाहकार पर्सद् के अध्यक्ष/सदस्य/सचिव/पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनादि/मानदेय/वाहन के ईधन/कार्यालय व्यय/दूरभाष आदि मदों से भुगतान संबंधी प्रत्येक माह स्वीकृत्यादेश निर्गत करने तथा इससे संबंधित विपत्रादि पारित करने हेतु संयुक्त सचिव-सह-निदेशक के अनुमोदनोपरान्त प्रभारी, उप सचिव, जे० पी० कोषांग, गृह (विशेष) विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

3. यह आदेश अगले आदेश तक के लिए प्रभावी रहेगा।

4. इस संबंध में पूर्व के सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

ह०/-

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/कोषांगार पदाधिकारी, सचिवालय कोषांगार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक-.....³²...../पटना, दिनांक...14.10.16....

प्रतिलिपि-कारा महानिरीक्षक, गृह (कारा) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, सलाहकार पर्सद्, जे० पी० सेनानी सम्मान योजना, ऑफिसर्स प्लैट नं०-2/12, शास्त्री नगर, पटना-23/संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, वरीय प्रभारी जे० पी० कोषांग, गृह विभाग/उप सचिव, प्रभारी जे० पी० कोषांग, गृह (विशेष) विभाग/अवर सचिव, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, लेखा शाखा (दो प्रतियों में), गृह (विशेष) विभाग/अवर सचिव, स्थापना, गृह (विशेष) विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(म)

सरकार के प्रधान सचिव